(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 225–पीबीआर / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–9–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 786 / 09–10 / अपील.

वृन्दावन (दत्तक) पुत्र स्व. छोटेलाल
निवासी ग्राम रसीदपुर
तहसील व जिला ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती कलाबाई पत्नी राणाजीत
पुत्री स्व. छोटेलाल निवासी ग्वालियर

2– जावित्री (मृतक) वारिसान–
श्रीमती राजकुमारी पत्नी सत्यनारायण
पुत्री रघुनंदन निवासी ग्राम घमसा
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड

3– जावित्री (मृतक) वारिसान–
ज्ञानसिंह उर्फ डालसिंह पुत्र रघुनन्दन कुशवाह
निवासी ग्राम चकबेहटा रामपुरा
तहसील व जिला ग्वालियर

4– श्रीमती सोनाबाई पत्नी ख्यालीराम
पुत्री स्व छोटेलाल कुशवाह
निवासी ग्राम बिलेहरी
तहसील व जिला ग्वालियर ....अनावेदकगण

श्री सुनील शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2000 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 203/08–09/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान जावित्री बाई की मृत्यु हो गई, और उसके वारिसान को अभिलेख पर लाये जाने हेतु आवेदक द्वारा 7 वर्ष 7 माह विलम्ब से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–9–20120 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील समाप्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–9–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया किया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वारिसान को अभिलेख पर लाये जाने हेतु जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी को तकनीकी त्रुटि के आधार पर आदेश पारित नहीं कर गुण–दोष पर आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं करने से आवेदक के विरूद्ध अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बहन की मृत्यु हो जाये, और आवेदक को 7 वर्ष 7 माह तक अपनी बहन की मृत्यु का पता न चले यह विश्वसनीय नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपने आपको दत्तक पुत्र बताकर एवं उसके पक्ष में वसीयतनामा बता रहा है, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में आवेदक दत्तक पुत्र है अथवा उसके पक्ष में वसीयतनामा है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पश्चात भी आवेदक की ओर से इस न्यायालय में अवधि बाह्य निगरानी प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया

कि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि चूंकि निगरानी ग्राह्य हो चुकी है, इसलिए समय–सीमा का बिन्दु विचारणीय नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–6–2000 को प्रकरण दर्ज करने के पूर्व ही तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–12–94 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक वृन्दावन का नाम निरस्त कर दिया गया है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–7–1998 को की गई है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण से यह स्थिति भी स्पष्ट है कि प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान जावित्री की मृत्यु होने के उपरांत आवेदक की ओर से मृतक जावित्री के वारिसानों को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र 7 वर्ष 7 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वारिसानों को अभिलेख पर लिये जाने संबंधी आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील अवेट होने से समाप्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर